COURT FEE 20 रु. कोर्ट फी Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग -600-III-16

प्र.कं. /2016 पुनरीक्षण

बलवीर प्रजापति पुत्र स्व. मंगना प्रजापति
निवासी वार्ड नं. 15 अनूपपुर तहसील व
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक द्वारा आज दि. 18-2-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 18-2-16

मुकेश भार्गव 18-2-16 एडवोकेट ग्वालियर

1. शिवप्रसाद प्रजापति पुत्र स्व. बददू प्रजापति
2. संतोष प्रजापति पुत्र शिवप्रसाद प्रजापति
3. अमृतलाल प्रजापति पुत्र शिवप्रसाद प्रजापति
4. गेंदलाल प्रजापति पुत्र शिवप्रसाद प्रजापति
5. रमेश प्रजापति पुत्र शिवप्रसाद प्रजापति
6. यशोदा प्रजापति पुत्री शिवप्रसाद प्रजापति
7. सावित्री प्रजापति पुत्री शिवप्रसाद प्रजापति
8. सुलोचना प्रजापति पुत्री शिवप्रसाद प्रजापति
   सभी निवासीगण हाल मुकाम मेडियारास
   तह. व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
9. म.प्र. शासन

...... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा मामला क्रं. 02/अ–03/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17.11.15 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-600-तीन/2016 जिला अनूपपुर बलवीर विरूद्ध शिवप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 02/अ-03/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-02-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

04/2/19

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

04/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य